



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072024-255295
CG-DL-E-09072024-255295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2536]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2024/आषाढ 18, 1946

No. 2536]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2024/ASHADHA 18, 1946

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2024

का.आ.2671(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, तमिल नाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री एस. सरवनन, विशेष तहसीलदार (एडीडब्ल्यू), सिरकाली, तमिलनाडु सरकार को श्री आर. शंकर, विशेष तहसीलदार, तमिलनाडु सरकार के स्थान पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/21/2016-जीपी-II (ई-45203)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 2024

S.O. 2671(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri S. Saravanan, Special Tahsildar (ADW), Sirkali, Government of Tamil Nadu in place of Shri R. Sankar, Special Tehsildar, Government of Tamil Nadu to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on deputation basis, for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/21/2016-GP-II (E-45203)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.